सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 82/2019

दायर दिनाँक 26.02.2019

वादी		प्रतिवादी
1. देवीसिंह पुत्र ज्ञानसिंह, उम्र—51साल, जाति—राजपूत, निवासी—आजड़ोली, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. राजस्थान—सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. Act.

उपस्थितः—

1. पक्षकारान् उपस्थित।

दिनाँक 26.02.2019

—:: निर्णय ::—

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी आजड़ोली का स्थाई निवासी है।

सरहद ग्राम आजड़ोली में खसरा नम्बर 119 रकबा 0.02 बीघा भूमि गैरमुमकिन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। नकल खतौनी सम्वत् 2071—74 तक व नक्शाट्रेश पेश है।

वादग्रस्त भूमि वादी कब्जे की भूमि रही है जो वादी व वादी के परिवार के पाखाना—उपयोग हेतु थी। वादग्रस्त भूमि आज भी वादी के ही कब्जा में स्थित है जो कि पीढियों से ही वादी के ही हिस्से व उपयोग की रही है। उक्त भूमि पर वादी के पिता ज्ञानसिंह पुत्र भँवरसिंह का ही पीढियों से कब्जा व उपयोग—उपभोग रहा है। उक्त भूमि की खातेदारी राजस्व कर्मचारियों के सहवन से राजस्थान—सरकार के नाम से दर्ज हो गयी जिसकी जानकारी वादी को हाल ही समय में नकल लेने से हुई जबकि उक्त भूमि पर मौके पर वर्तमान में वादी का व इससे पूर्व वादी के

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 82 / 2019
दायर दिनाँक 26.02.2019, निर्णय दिनाँक 26.02.2019
देवीसिंह बनाम् राजस्थान–सरकार।

पिता व पूर्वजों का ही निर्विवाद रूप से कब्जाकाश्त रहा है। वादग्रस्त भूमि का वर्तमान में वादी अपने पशू मवेशियों आदि के रहवास के हेतु उपयोग कर रहा है। अतः सरहद ग्राम आजड़ोली में खसरा नम्बर 119 रकबा 0.02 बीघा भूमि की खातेदारी वादी देवीसिंह पुत्र ज्ञानसिंह के नाम घोषित करवाने बाबत् हस्तगत वाद पेश है।

प्रार्थना वादी है कि,

सरहद ग्राम आजड़ोली में खसरा नम्बर 119 रकबा 0.02 बीघा भूमि की खातेदारी वादी देवीसिंह पुत्र ज्ञानसिंह के नाम से घोषित किया जावे। प्रतिवादी के विरूद्ध व वादी के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार डीडवाना ने वाद में रिपोर्ट पेश की।

तहसीलदार डीडवाना की उक्त रिपोर्ट के अनुसार, आवेदित खसरा नम्बर 119 रकबा 0.02 बीघा गैरमुमकिन गाँव की आबादी खसरा नम्बर 112 से सटा हुआ है। इसी से चिपता हुआ प्रार्थी / वादी का खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 118 है जिसमें प्रार्थी / वादी के मकानात् बने हुए हैं तथा खसरा नम्बर 119 में प्रार्थी / वादी द्वारा टीन शेड बनाया हुआ है। उक्त रिपोर्ट में एक नजरीनक्शा भी दर्शित है जिसमें उक्त वादग्रस्त भूमि को दर्शाया गया है जो कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 119 रकबा 0.02 बीघा गैरमुमकिन राजकीय खाते में दर्ज है।

वाद के समर्थन में, जमाबन्दी ग्राम आजड़ोली सम्वत् 2071–2074 खेवट संख्या 01 / 01 खसरा नम्बर 119 रकबा 0.02 बीघा गैरमुमकिन की प्रमाणित प्रतिलिपि, भू–प्रबन्ध (सैटलमेन्ट) विभाग, राजस्थान राज्य की खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) ग्राम आजड़ोली सम्वत् 2022 की छायाप्रति, पेश है।

वादी स्वयं उपस्थित। वादी दावा डिक्री किये जाने का निवेदन कर रहे है। वाद में तहसीलदार डीडवाना से रिपोर्ट ली गयी जिसमें वादग्रस्त भूमि में वादी का ही कब्जा बताया गया है जिसमें वादग्रस्त भूमि में टीनशेड बनाया जाकर उसका उपयोग किया जाना बताया है। वादग्रस्त भूमि की वर्तमान खातेदारी के स्थान पर अगर वादी को उक्त खातेदारी दी जाती है तो तहसीलदार डीडवाना ने अपनी ओर से कोई आपत्ति पेश नहीं की है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। वादी की इस्तदुआ पर मनन् किया। मिसल पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने से सामने आया कि, भू–प्रबन्ध (सैटलमेन्ट) विभाग, राजस्थान राज्य की खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) ग्राम आजड़ोली सम्वत् 2022 में वादग्रस्त भूमि पाखाना के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जमाबन्दी ग्राम आजड़ोली सम्वत् 2071–2074 खेवट संख्या 01/01 खसरा नम्बर 119 रकबा 0.02 बीघा का अवलोकन किया तो उसमें वादग्रस्त भूमि राज.सरकार के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादग्रस्त भूमि का पाखाना से राज.सरकार के नाम से दर्ज होने के पीछे कोई वजह नजर नहीं आती हैं इससे लगता है कि यह सहवन से ही अन्तर दर्ज हुआ है।

लिहाजा, सरहद ग्राम आजड़ोली में खसरा नम्बर 119 रकबा 0.02 बीघा भूमि की खातेदारी वादी देवीसिंह पुत्र ज्ञानसिंह के नाम से घोषित की जाकर राजस्व रिकॉर्ड को दुरस्त किया जाना न्यायालय को उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वादी का वाद, अनुतोष वादी माफिक, निम्नानुसार डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, सरहद ग्राम आजड़ोली के खसरा नम्बर 119 रकबा 0.02 बीघा भूमि की वर्तमान खातेदारी को खरिज कर, इसके स्थान पर, इस भूमि का, वादी देवीसिंह पुत्र ज्ञानसिंह को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे, वादी की खातेदारीसुदा व कब्जासुदा भूमि में किसी प्रकार से दखल अन्दाजी नहीं करें। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **26.02.2019** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 82/2019 दायर दिनाँक 26.02.2019

वादी		प्रतिवादी
1. देवीसिंह पुत्र ज्ञानसिंह, उम्र—51साल, जाति—राजपूत, निवासी—आजड़ोली, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. राजस्थान—सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक 26.02.2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई वादी स्वयं ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, सरहद ग्राम आजड़ोली के खसरा नम्बर 119 रकबा 0.02 बीघा भूमि की वर्तमान खातेदारी को खरिज कर, इसके स्थान पर, इस भूमि का, वादी देवीसिंह पुत्र ज्ञानसिंह को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे, वादी की खातेदारीसुदा व कब्जासुदा भूमि में किसी प्रकार से दखल अन्दाजी नहीं करें। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत.............
.......—....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—.........
आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 26.02.2019 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner